रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229087
CG-DL-E-17082021-229087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943	
No. 341]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SHRAVANA 26, 1943	

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

कोलकाता, 13 अगस्त, 2021

सं. सीडब्ल्यूआर (1) 2021.— लागत और कार्य लेखांकन विनियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों जिन्हें भारतीय लागत लेखाकार संस्थान परिषद (जिसे एतद् पश्चात परिषद कहा गया है) करने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित मसौदा एतद्द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ लागत और कार्य लेखांकन अधिनियम 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर भारत के राजपत्र जिसमें इन मसौदा विनियमों को जनता को उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशित किया गया है, की प्रतियों की तारीख से 45 दिनों की अवधि में या उसके बीत जाने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक कोई व्यक्ति ऊपर विर्निष्ट अवधि के भीतर परिषद के विचारार्थ उसे सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, सीएमए भवन, 12 सदर स्ट्रीट, कोलकाता-700016 को भेज सकता है।

मसौदा विनियम

1.(1) इन विनियमों को लागत और कार्य लेखाकार (संशोधन) विनियम 2021 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागत और कार्य लेखाकार विनियम, 1959 (जिसे एतद् पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) में, -

(क) उक्त विनियम में, विनियम 111 ग के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा-

विनियम 111 घ: कोई कार्यरत सदस्य किसी बहु-विषयी फर्म के कार्यकरण और विनियमन के लिए परिषद के विनियमन दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियम 111 ख और 111 ग के अंतर्गत यथा-विहित अन्य पेशवर निकायों के सदस्यों के साथ बहु-विषयी फर्म गठित कर सकता है।

सीएमए कौशिक बैनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./205/2021-22]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

Kolkata, the 13th August, 2021

No. CWR (1) 2021. – The following draft of certain regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, which the Council of the Institute of Cost Accountants of India (hereinafter referred to as the Council) proposes to make, is hereby published, as required under sub-section (3) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published are made available to the public.

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations may forward the same for consideration by the Council within the period so specified above to the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 (hereinafter referred to as the said regulations),-

(A) in the said regulations, after Regulation 111C, the following shall be inserted –

Regulation 111D : A member in practice may form multi-disciplinary firm with the member of other professional bodies as prescribed under Regulations 111B and 111C in accordance with the regulating guidelines of the Council for functioning and regulation of such multidisciplinary firm.

CMA KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./205/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.08.17 22:25:31 +05'30'